पीएमएवाई सीएलएसएस पर स्पष्टीकरण - भारत सरकार, शहरी विकास और आवासन मंत्रालय ने दिनांक 11/07/2019 के ईमेल से स्पष्ट किया है कि:

1. योजना दिशानिर्देशों के तहत शेष राशि हस्तांतरण के मामले सब्सिडी के लिए पात्र नहीं है।

2. महाराष्ट्र में बोईसर महाराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक अधिसूचित सांविधिक शहर नहीं है। इसलिए बोईसर में स्थित संपत्तियां, महाराष्ट्र योजना दिशानिर्देशों के तहत सब्सिडी हेतु पात्र नहीं है।